असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र 1966 (श०)

पटना, बृहस्पतिवार, 5 अप्रैल, 1984

विधि विभाग

अधिसूचना

5 अप्रैल 1984

संख्या एल. जी. 1– 40/83–लेज 229– बिहार विधान–मंडल का भिन्न भिन्न कार्यालय बिहार राज्यपाल 31 मार्च 1984 को अनुमति दे चुके हैं। इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है –

(बिहार अधिनियम सं0 8, 1984)

बिहार राज्य अभियंत्रण एवं फार्मेसी शैक्षणिक संख्या (विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1983

बिहार राज्य अभियंत्रण एवं फार्मेसी शैक्षणिक संख्या (विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1982 को संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :–

1. **संक्षिप्त, नाम, प्रारम्भ और प्रसार** – (1) यह अधिनियम बिहार अभियंत्रण एवं फार्मेसी शैक्षणिक संस्था (विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जा सकेंगा।
2. यह तुरंत प्रवृत होगा
3. यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा

2. **बिहार अधिनियम 63, 1982 में नई धारा 1– क का अंतःस्थापन** – बिहार राज्य अभियंत्रण एवं फार्मेसी शैक्षणिक संस्था (विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, बिहार (बिहार अधिनियम 63, 1982)

3. (आगे उक्त अधिनियम के रूप में विर्दिष्ट) की धारा 1 के बाद निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाएगी।

परिभाषा – अबतक कोई धारा विषय पर संदर्भ के विरूद्ध वहां हो अभियंत्रण में–

(1) ''संस्था'' संस्थापित है अभियंत्रण महाविद्यालय जहां अभियंत्रण एवं उससे संबंधित विषयों में कम –से कम डिग्री स्तर की शिक्षा दी जाती है। डिग्री स्तर का फार्मेसी महाविद्यालय शिक्षा पोलिटेकनिक या तकनीकी विद्यालय जिसमें अभियंत्रण अथवा उससे संबंधित शाखाओं से डिप्लोमा स्तर की शिक्षा दी जाती है अथवा प्रबंधन संस्थान जिसमें व्यापार प्रबंधन, श्रम प्रबंधन, संस्था प्रबंधन,सामग्री प्रबंधन, औघोगिक प्रबंधन अथवा इससे संबंधित विषयों में डिग्री अथवा डिप्लोमा स्तर की शिक्षा दी जाती है।

(2) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है ऐसी तकनीकी महाविद्यालय जिसमें अभियंत्रण, फार्मेसी तथा इससे संबंधित विषयों एवं प्रबंधन विषयों में कम–से कम डिग्री स्तर की शिक्षा दी जाती है,

(3) ''विद्यालय'' से अभिप्रेत है ऐसे तकनीकी विद्यालय जिसमें अभियंत्रण अथवा प्रबंधन आवेंगे। उससे संबंधित विषयों में डिप्लोमा स्तर की शिक्षा दी जाती है,

(4) ''प्रबंधन'' से अभिप्रेत है व्यापार प्रबंधन, श्रम प्रबंधन, औघोगिक प्रबंधन, बाजार प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन अथवा उससे संबंधित विषयों का प्रबंधन;

(5) ''अभियंत्रण'' से अभिप्रेत है, यांत्रिक, रासायनिक, विघुत, दूरसंचार तथा दो विषय तकनीकी एवं अभियंत्रण पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्धारा स्वीकृत हो और समय–समय पर उसके द्धारा स्वीकृत किये जायें

3. बिहार अधिनियम 63,1982 की धारा 2 का संशोधन – उक्त अधिनियम की धारा 2 कें –

(i) विषय शीर्ष में शब्द ''अभियंत्रण'' के बाद कोषा (1) तथा शब्द प्रबंधन अंतःस्थापित किये जायेंगे।

(ii) खंड (क) में शब्द ''सहबद्ध शाखाआ'' के बाद शब्द ''के प्रबन्धन'' अंतःस्थापित किये जायेंगे।

(iii) खंड (ख) की द्वितीय कंडिका में शब्द ''फार्मेसी में डिग्री'' के बाद शब्द प्रबंधन में डिग्री या डिप्लोमा'' अंतःस्थापित किये जायेगें।

(iv) तृतीय कंडिका में शब्द ''फार्मेसी'' के बाद शब्द ''प्रबंधन'' अंतःस्थापित किये जायेगें।

4. **बिहार अधिनियिम 63, 1982 की धारा 3 का संशोधन**– उक्त अधिनियम की धारा 3 में ''अभियंत्रण में डिग्री अथवा डिप्लोमा तथा'' शब्दों के बाद शब्द प्रबंधन में डिग्री अथवा डिप्लोमा और'' शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे।

5. **बिहार अधिनियम 63, 1982 की धारा 6 का संशोधन**– उक्त अधिनियम के साथ 6 में –

(i) शब्द ''पौलिटेकनिक'' के बाद शब्द ''अथवा प्रबन्धन संस्थान'' अंतःस्थापित किये जायेंगे।

(ii) खंड (2) में भारत सरकार के पहले प्रयुक्त शब्द '' तथा'' लुप्त कर दिया जायेंगा और उसके स्थान पर ''कौमा'' रखा जायगा।

(iii) खंड (3) के बाद निम्नलिखित नए खंड अंतः स्थापित किये जायेंगे–

(iv) ऐसे महाविद्यालयों के संरक्षण में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर सरकार द्धारा यथागृहीत नया नामांकन तथा नामांकन संख्या का निर्धारण करना होगा।

(v) ऐसे महाविद्यालयों को अपने शासी निकाय/प्रबन्धन समिति/शासी परिषद या कोई अन्यवेक्षण प्राधिकार, जो भी हो, में सरकार के कम–से–कम दो सदस्यों को रखना होगा।

(vi) इन महाविद्यालयों के बैंक खातों का हिसाब–किताब सरकार के एक प्रतिनिधि एवं संस्थान के एक प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(vii) सरकार को किसी भी समय महाविद्यालय के कार्यकलाप का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(viii) सरकार को कभी भी शासी निकाय को अवक्रमित कर एक प्रशासी पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार नियम एवं शर्तों के अधीन होगा।

(ix) राज्य सरकार अनुमति प्रदान करने के पूर्व नियमानुसार ऐसे शर्तों को लगा सकती है, जिससे संस्थान के कार्यकलापों जैसे संस्थान के लिए उपलब्ध जमीन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, बैंक के अनुरक्षित कोष तथा अन्य सुविधाओं पर समुचित नियंत्रण एवं नियमन रखा जा सकें। परन्तु खण्ड (2) के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त कोई अभियंत्रण संस्थान यदि किसी समय किसी कारण से शिक्षण का कार्य बन्द कर देता है तो ऐसे संस्थान की सारी सम्पत्ति स्वतः सरकार में निहित हो जायेगी।

6. बिहार अधिनियम 63, 1982 की धारा 7 का संशोधन – उक्त अधिनियम की धारा 7 में–

(i) विषय शीर्षक में शब्द ''फार्मेसी'' के बाद शब्द एवं ''प्रबंधन'' अंतःस्थापित किये जायेंगे।

(ii) तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द ''फार्मेसी में डिग्री'' के बाद शब्द ''अथवा प्रबंधन में डिग्री अथवा डिप्लोमा'' अंतःस्थापित किये जायेंगे।

(iii) छठी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द ''फार्मेसी महाविद्यालयों'' के बाद शब्द ''अथवा प्रबंधन संस्थानों'' अंतःस्थापित किये जायेंगे।

7. बिहार अधिनियम 63, 1982 की धारा 8 का संशोधन – उक्त अधि विषय की धारा 8 के –

(i) खंड (क) एवं (ख) में शब्द ''फार्मेसी महाविद्यालयों'' के बाद शब्द ''अथवा प्रबंधन संस्थानों'' अंतःस्थापित कियें जायेंगे।

(ii) खंड (ख) एवं (ग) में शब्द ''फार्मेसी महाविद्यालय'' के बाद शब्द ''अथवा प्रबंधन संस्थानं'' अतःस्थापित कियें जायेगें।

8. बिहार अधिनियम 63, 1982 की धारा 9 का संशोधन – उक्त अधिनियम की धारा 9 की प्रथम कंडिका के द्वितीय वाक्य में संस्थाए इस अध्यादेश के प्रस्थापन की तिथि में किसी छात्र का प्रवेश तबतक न लेगी जबतक राज्य सरकार उन्हें अनुज्ञा न दे दे'' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :–

'' ये संस्थाए न तो विज्ञापन द्वारा या अन्यथा नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित या स्वीकृत करेगी और न तब तक कोई ऐसी कार्रवाई करेगी जो अनुज्ञा की प्रत्याशा ने हो और किसी छात्र का प्रवेश अथवा निबंधन तबतक न करेंगे जब तक राज्य सरकार इन्हें अनुज्ञा न दे दे। ''

9. बिहार अधिनियम 63, 1982 की धारा 14 का संशोधन– उक्त अधिनियम की धारा 14 में–

(i) विषय शीर्षक के शब्द '' फार्मेसी महाविद्यालय '' के बाद शब्द '' एवं प्रबंधन संस्थान '' अंतःस्थापित किये जायेगे।

(2) खंड (क) में शब्द ''फार्मेसी महाविद्यालय '' के बाद शब्द '' एवं प्रबंधन संस्थाओं '' अंतःस्थापित किये जायेगें।

(3) खंड (ख) के स्थान पर निम्न खंड अंतःस्थापित किया जायेगा :–

''गैर –सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों , पोलिटेकनिक तथा फार्मेसी महाविद्यालयों अथवा प्रबंधन संस्थानों द्वारा छात्रों के जो जाने वाली प्रति व्यक्ति फीस (शुल्क) का निर्धारण , राज्य सरकार के पूर्वानुमति के बिना कोई भी दान, ऋण या अन्य किसी भी तरह की राशि नही लेगें।''

10 निरसन और व्यावृत्ति –(1) बिहार राज्य अभियंत्रण एवं फार्मेसी शैक्षणिक संस्था (विनियमन एवं नियंत्रण) द्वितीय (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (बिहार अंध्यादेश 7,1984) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2)ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्धारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा ये के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के प्रंयोग में किया गया था की नई समक्षी जायगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त या जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

ह०/–
वि0 ना0 मेहरोत्रा
अपर सचिव, विधि विभाग